तारीख हुक्म		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7-5-26	**मीना देवी बनाम भगाराम** अपील संख्या :–38 / 2026 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट की ओर से श्री जयचंदलाल सारस्वत व क्रोस अपील के अभिभाषक अपीलांट श्री सत्यनारायण तिवाड़ी तथा अभिभाषे केवियटकता / रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से श्री कमल नारायण पुरोहित व श्री सुमेरदान बीठू उपस्थित। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 श्री कमल नारायण द्वारा कथन किये गये कि प्रकरण में अभी शेष रेस्पोडेन्टान की तामील होना शेष है। इस स्थिति में शेष रेस्पोडेन्ट की तामील करवाये बिना प्रकरण में स्थगन पर बहस नही सुनी जा सकती। अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय उनवान राजबहादुर सिंह बनाम हनुमान सिह वगै. निर्णय दिनांक 27–09–2013 प्रस्तुत किये। अभिभाषक अपीलांट द्वारा कथन किये गये कि हस्तगत अपील में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 10 आवश्यक रेस्पोडेन्ट है तथा शेष औपचारिक रेस्पोडेन्ट है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 9 द्वारा प्रश्नगत भूमि का बेचान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को कर दिया गया है। इस स्थिति में हस्तगत अपील में केवल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ही हितबद्ध पक्षकार है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नही है ना ही मौके पर कब्जा है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय में धारा 188 आरटीए का दावा पेश कर सम्पूर्ण प्रश्नगत भूमि पर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है जबकि धारा 188 आरटीए का दावा केवल खातेदार काश्तकार ही ला सकता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 39 चंदा देवी जो कि दिनांक 21–12–2022 को फौत हो चुकी है को पक्षकार बनाया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृत व्यक्ति के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश जारी किया गया है जो खारिज योग्य है। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा पुनः कथन किये गये कि अभिभाषक अपीलांट मेरिट पर बहस कर रहे है। जब तक समस्त रेस्पोडेन्ट की तामील नही हो जाती प्रकरण में मेरिट पर निर्णय नही किया जा सकता। क्रॉस अपील के अभिभाषक अपीलांट सत्यनारायण तिवाड़ी द्वारा कथन किये गये कि अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी की हैसियत से अस्थाई निषेधाज्ञा	

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पत्र प्रस्तुत किया था। जहॉ अप्रार्थीगण की तलबी करवाये बिना अपने पक्ष में स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया और हस्तगत अपील में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा ही तामील का प्रश्न उठाया जा रहा है।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत व उनकी बात को सही मान लिया जाए तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में संयोजित समस्त प्रतिवादियों की तामील करवाये बिना व उनको सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत के अनुसार अपीलाधीन आदेश अविलम्ब निरस्त कर दिया जाना चाहिए।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

उभय पक्ष की बहस के पश्चात न्यायालय हाजा के समक्ष निम्नाकिंत बिन्दू विचारणीय है–

A. आया हस्तगत अपील में समस्त रेस्पोडेन्टस की तामील नही होने से प्रकरण में अंतिम बहस सुनकर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जा सकता है अथवा नही?

B. आया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में सभी अप्रार्थीगण/प्रतिवादियों की तामील करवाये बिना व उनको सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है अथवा नही?

उपर्युक्त बिन्दुओ के संबंध में न्यायालय का विनिश्चय निम्नानुसार है–

A– हस्तगत अपील में कुल 44 पक्षकार रेस्पोडेन्ट के रूप में संयोजित किये गये है। जिनमे 1 ता 10 आवश्यक रेस्पोडेन्ट तथा शेष औपचारिक रेस्पोडेन्ट बनाये गये है। प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 10 द्वारा प्रश्नगत भूमि का बैचान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया जा चुका है।

यह तथ्य भी निर्विवाद है कि हस्तगत अपील में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ही तामील हुई है, शेष रेस्पोडेन्ट की तामील होना शेष है। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत में यह अवधारित किया गया है कि–

It is axiomatic that though the application for temporary injunction is separately registered, it is always filed in the respective suit only as envisaged in Order 39, Rule of CPC, and therefore all the parties to the suit would be the parties in the application for temporary injunction also, and their names must

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

appear in the cause-title of the suit alongwith the number of the suit, though the reliefs might have been sought against some of the parties only. It is also required to be noted that sometimes the relief of temporary injunction is sought by one the plaintiff in the cause-title of such application, as has been done in the instant case. In such cases, the plaintiff defendant against the other defendant in the application for temporary injunction without showing the name of who has filed the suit against the defendants would be unaware of the orders passed in the application for temporary injunction filed by the defendants inter se. It is therefore not only desirable but mandatory to join all the parties to the suit as the parties in the T.1. Application, in order to void any complications in the suit and to avoid conflicting orders in the it.

It is therefore directed that all the subordinate Courts shall see to it that all the parties shown in the cause-title of the suits are also shown as the parties in the cause-title of the application for temporary injunction under Order 39 of CPC, alongwith the number of the suit.

अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में उन सभी पक्षकारो को संयोजित किया जाना चाहिए तथा सुना जाना चाहिए जिनको वाद में पक्षकार बनाया गया है चाहे अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में उनके विरूद्ध अनुतोष चाहा गया है अथवा नही।

उपर्युक्त न्यायिक दृष्टांत के आलोक में चूंकि हस्तगत अपील में समस्त रेस्पोडेन्टस की तामील नही हुई है। अतः प्रकरण में शेष रेस्पोडेन्टस को सुने बिना गुणावगुण पर निर्णय पारित नही किया जा सकता।

B– हस्तगत अपील में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 212 आरटीए का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें कुल 44 पक्षकार अप्रार्थीगण के रूप में संयोजित किये गये थे।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में केवल अपीलांट (अप्रार्थी संख्या 40) तथा अप्रार्थी संख्या 20 ता 26 की ही तामील हुई थी। शेष अप्रार्थीगण की तामील होना शेष था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी अप्रार्थीगण्ण की तामील करवाये बिना और उनको सुनवाई का अवसर दिये बिना ही प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत के आलोक में यह आवश्यक था कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त अप्रार्थीगण की तामील करवाये जाने व उनको सुनवाई का अवसर दिये जाने के उपरान्त प्रकरण में निर्णय पारित किया जाता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानो की अवहेलना करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो कि विधिक दृष्टि से उचित प्रतीत नही होता है।

यहॉ हस्तगत अपील में बहस सुनकर गुणावगुण पर निर्णय नही किया जा रहा है। केवल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत में अवधारित किये गये बिन्दू की पालना में प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत के आलोक में न्यायालय का विनम्र मत यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त अप्रार्थीगण की तामील करवाये बिना व उनको सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05–03–2026 विधिक दृष्टि से उचित नही होने के कारण निरस्त किया जाता है। प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाताा है कि समस्त पक्षकारो की तामील करवाकर सुनवाई का अवसर देते हुए प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। पक्षकारो को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 15–05–2026 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर